

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 08.05.2021

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0-123/21, धारा-498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता किरन सिंह को मुखबिर खास की सूचना पर चौखाड़िया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ता को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता—

01. किरन सिंह पत्नी स्व0 गोपाल सिंह नि0 बलुहा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01.मु0अ0सं0-123/21, धारा-498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 हरिद्वार तिवारी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.05.2021

छेडछाड व मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-130/21, धारा-354,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों- 01. अरविन्द, 02. अर्जुन उर्फ राहुल को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम चंदारत्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ छेडछाड किया था तथा महिला द्वारा विरोध करने पर गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा भी था। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अरविन्द पुत्र भारत नि0 ग्राम चंदारत्ती थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. अर्जुन उर्फ राहुल पुत्र रामसुरेश नि0 ग्राम चंदारत्ती थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-130/21, धारा-354,323,504,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 कन्हैया दीक्षित मय टीम।